संख्या:234/2015/887/35-4-2015

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकरी
कन्नौज।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई,2015

विषय : वर्ष 2015-16 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज में जल निकासी से संबंधित 11 कार्यों की शासनादेश संख्या-459(1)/35-4-2014 दिनांक 04 मार्च,2014 के द्वारा रू. 2429.67 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 1214.83 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-125/2015/269/35-4-2015 दिनांक 23 मार्च,2015 द्वारा 08 कार्यों की द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त की गई। जिलाधिकारी के पत्र संख्या: 174/ त्वा0आ0वि0यो0/द्वितीय किश्त/डीएसटीओ/2014-15 दिनांक 20 जून,2015 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उक्त स्वीकृत 11 कार्यों में से निम्नलिखित 03 कार्यों हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू. 374.77 लाख (रूपये तीन करोड़ चौहत्तर लाख सतहत्तर हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	मो0 शेखना में टम्मी के मकान से ग्राम सदिकापुर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य	347.33	173.67	173.66
2	मो0 हाजीगंज में सुल्तानपीर पुलिया से मो0 आरावारी होते हुये पाटा नाला तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य	201.11	100.56	100.55
3	ग्राम-कन्दारौली कछोहा (बद्दापुरवा) से प्रस्तावित जलालपुर अमरा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य	201.11	100.55	100.56
	योग	**749.55**	**374.78**	**374.77**

1- सन्दर्भित शासनदेश दिनांक 04 मार्च,2014 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक / डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

http://sanadesh.up.nic.in

4- इस शासनादेश से प्रश्नगत कार्यों के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2016 तक पूर्णरूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2016 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2016 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2016 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

7- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-02-मलजल तथा सफाई-101-शहरी सफाई सेवायें-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-01-जलनिकासी कार्यक्रमों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च,2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:234/2015/887(1)/35-4-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / सचिव, ग्राम्य विकास/नगर विकास विभाग।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, कानपुर ।
7- मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज ।
8- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम ।
9- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकरी,कन्नौज ।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज ।

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in